

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 48/2010 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

गौहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. प्रमोद पुत्र छोटेलाल कुशवाह
  2. कमलेश पुत्र वटूरी प्रसाद कुशवाह उम्र 25 साल
  3. राजवीर पुत्र वटूरी पेसाद कुशवाह उम्र 23 साल
- निवासीगण सीताराम की लावन पुलिस थाना  
गौहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 664/09 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 48/2010

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता।

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 14-01-2015 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 489(ख), 489(ग) भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 05.08.2009 के 17:10 बजे लगभग गोहद चौराहा पर मनीष गुप्ता की पान की दुकान के पास करेंसी सौ रूपए की नोट जिसे कूट रचित होना जानते हुए या यह विश्वास करते हुए कि वह कूट रचित है, मोबाइल का बैलेंस डलवाने के लिए उसे असली के रूप में उपयोग में लाया गया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अपने आधिपत्य में कूटरचित करेंसी नोट सौ रूपए के

पांच नोट यह जानते हुए अथवा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित है इस आशय से रखा कि उन्हें असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि सूचनाकर्ता मनीष अग्रवाल जो कि गोहद चौराहा पर पान व मोबाइल री-चार्ज की दुकान करता है जो कि दिनांक 05.08.2009 को अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दिन के लगभग 17:10 बजे के लगभग उसकी दुकान पर विनोद कुशवाह आया और उससे 25/- रूपए का आईडिया कम्पनी का बेल्यूवाउचर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मागा और उसे सौ रूपए का नोट दिया, उसने नोट देखा तो वह नकली था। उसने प्रमोद से पूछा कि उसके पास और भी नोट है तो वह भागने को हुआ। आरोपी को उसने व गिर्जेश शर्मा ने पकड़ लिया, उसकी तलाशी लेने पर उसके पास सौ-सौ रूपए के तीन नकली नोट मिले तथा एक नोट पांच सौ रूपए का असली और एक पचास रूपए का असली नोट रखे थे। उक्त नोटों को कपट पूर्वक चलाने के लिए तथा असली के रूप में प्रयोग करने के लिए उसके द्वारा रखा गया। आरोपी प्रमोद की गिरफ्तारी की गई तथा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी प्रमोद के द्वारा नकली नोट आरोपी राजबीर और कमलेश के द्वारा उसे दिए जाने के बारे में बताया गया। आरोपी प्रमोद के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से सौ-सौ रूपए के चार नोट तथा सौ रूपए का एक धुला हुआ नोट व सौ रूपए और पचास रूपए का एक एक असली नोट जप्त किया गया। उक्त जप्तशुदा नोटों का परीक्षण कराया गया जिसमें सौ-सौ रूपए के पांच नोट नकली होना बैंक मुद्रणालय प्रेस देवास से कराई गई। परीक्षण रिपोर्ट में उक्त सौ रूपए के पांच नोट जाली होना पाये गए। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। आरोपी राजबीर एवं कमलेश को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 489(ख), 489(ग) भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में

अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी प्रमोद के द्वारा सौ रूपए का कूटरचित नोट फरियादी मनीष अग्रवाल के दुकान पर मोबाइल का बैलेंस डलवाने के लिए उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से उपयोग में लाया गया?
2. क्या अन्य आरोपी राजवीर एवं कमलेश के द्वारा आरोपी प्रमोद को उक्त नोट इस आशय से प्रदान किया कि उसे क्रय-विक्रय करने के लिए असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके?
3. क्या आरोपी प्रमोद के द्वारा सौ रूपए के कूटरचित नोट यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उन्हें असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके, अपने कब्जे में रखा?
4. क्या अन्य सहआरोपी राजवीर एवं कमलेश के द्वारा यह जानते हुए कि नोट कूटरचित है और उन्हें इस आशय से कि असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके नोटों को कब्जे में रखा या रखवाया?

### -: सकारण निष्कर्ष:-

#### बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4

06. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी प्रमोद कुशवाह के द्वारा मोबाइल का बैलेंस डलवाने हेतु रिपोर्टकर्ता मनीष अग्रवाल को सौ रूपए का नोट दिये जाने पर और मनीष के द्वारा देखा जाने पर कि नोट नकली था, उसे अन्य सहायोगी गिर्जेश शर्मा की सहायता से पकड़े जाने पर उसकी तलाशी लेने पर सौ-सौ रूपए के तीन नकली नोट उसके पास मिले थे और तत्पश्चात् फरियादी मनीष अग्रवाल के द्वारा थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट की गई है जो कि रिपोर्ट प्र.पी. 1 उनके द्वारा दर्ज कराई गई है और इसी के आधार पर प्रकरण में आगे विवेचना की कार्यवाही की गई है।

07. घटना के संबंध में सूचनाकर्ता मनीष अग्रवाल अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि लगभग ढाई साल पहले गोहद क्षेत्र थाना के सामने पान की दुकान पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वहीं पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करा लिए थे रिपोर्ट प्र.पी. 01 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। घटना की रिपोर्टकर्ता मनीष अग्रवाल के द्वारा आरोपी प्रमोद एवं अन्य किसी आरोपी की कोई पहिचान भी नहीं की गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षी के कथनों में कहीं भी घटनाक्रम अथवा अभियोजन का समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। साक्षी के द्वारा उसके सामने पुलिस के द्वारा आरोपी प्रमोद से नकली नोट तथा एक मोबाइल जप्त किए जाने के तथ्य से भी इंकार किया गया है तथा आरोपी से किसी प्रकार की कोई नकली नोट बरामद होने से भी इंकार किया है। इस प्रकार घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट कर्ता मनीष अग्रवाल के कथन के आधार पर आरोपी प्रमोद को नकली नोट लिए हुए पकड़े जाने का और इस संबंध में फरियादी मनीष अग्रवाल के द्वारा कोई कार्यवाही की जाने का कोई भी समर्थन साक्षी मनीष अग्रवाल के द्वारा नहीं किया गया है।

09. आरोपी प्रमोद से कथित घटनास्थल गोहद चौराहा में हुए जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचक बी0एल0बंसल अ0सा0 5 के द्वारा फरियादी मनीष अग्रवाल की रिपोर्ट लिखे जाने के उपरान्त आरोपी प्रमोद की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार करना और आरोपी प्रमोद से एक सौ रूपए का नोट और एक पचास रूपए का नोट असली, दो मोबाइल तथा दो नोट सौ-सौ रूपए के नकली जिन पर 282209 तथा जेईएच 063547 डला हुआ था, मौके पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है।

10. आरोपी प्रमोद से उपरोक्त जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन के द्वारा जप्ती के साक्षी मनीष अग्रवाल अ0सा01 तथा गिर्जेश शर्मा अ0सा0 2 के कथन कराए हैं, किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों के द्वारा आरोपी प्रमोद से पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई जप्ती उनके समक्ष किए जाने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी गिर्जेश शर्मा अ0सा02 जो कि मौके पर फरियादी मनीष अग्रवाल के साथ आना बताया गया है के द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु किसी प्रकार की

कोई जप्ती उसके समक्ष होने की बात को साफ तौर से साक्षी के द्वारा इंकार किया गया है।

11. यह उल्लेखनीय है कि रिपोर्टकर्ता मनीष अग्रवाल के द्वारा ही आरोपी प्रमोद को अपने सहयोगी गिर्जेश शर्मा की सहायता से पकड़ा जाना और उसके पास नकली नोट पाया जाना अभियोजन के द्वारा बताया गया है, किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों ही साक्षीगण मनीष अग्रवाल अ0सा0 1 और गिर्जेश शर्मा अ0सा0 2 के कथनों के आधार पर उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही होना अथवा आरोपी प्रमोद से किसी प्रकार की कोई जप्ती होने का तथ्य सम्पुष्टि नहीं है। ऐसी दशा में जबकि स्वयं साक्षियों के द्वारा आरोपी प्रमोद के आधिपत्य से कथित रूप से नकली नोट की जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है। मात्र विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथन के परिप्रेक्ष्य में विश्वास करते हुए आरोपी प्रमोद से उक्त जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

12. अभियोजन के द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार करने के उपरांत उससे पूछताछ किये जाने पर उसके मेमोरेडम कथन के आधार पर अन्य सह आरोपी राजवीर और कमलेश के भी घटना में संलग्न होने तथा आरोपी प्रमोद से नकली नोट की बरामदगी का तथ्य बताया जा रहा है। आरोपी राजवीर और कमलेश से किसी भी प्रकार की कोई जप्ती नहीं हुयी है। उक्त दोनों ही आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता हेतु कोई भी वैधानिक साक्ष्य मौजूद नहीं पायी जाती है।

13. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना के सूचनाकर्ता/फरियादी कनीष अग्रवाल के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं है। आरोपी प्रमोद के आधिपत्य से नकली नोटों की जप्ती का तथ्य भी अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपीगण राजवीर एवं कमलेश के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उन्हें घटना में लिप्त करने हेतु मौजूद नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही के आधार पर तथा बैंक नोट मुद्रणालय देवास के जाली नोट प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षित किए गए पांच सौ सौ के नोट जाली थे, उक्त साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी को

दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं हो सकती। तदनुसार आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती।

13. अतः अभियोजन प्रकरण को आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना न पाते हुये आरोपीगण प्रमोद पुत्र छोटेलाल, कमलेश पुत्र वटूरी प्रसाद, राजवीर पुत्र वटूरी प्रसाद को धारा 489(ख) एवं 489(ग) भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. प्रकरण में जप्तशुदा एक सौ रूपए एवं एक पचास रूपए के असली नोट जिनके नम्बर 6एन.ई.155510 व 2 एम.एम.7863 कुल डेढ सौ रूपये राजकोष में अपील अवधि पश्चात् जमा किए जाये। जप्त सुदा बताये गये नकली नोट पांच नग सौ सौ के अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये। प्रकरण में जप्त सुदा दो मोवाइल एवं चार्जर के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पेश होने पर उनके स्वामी को वापिस किए जाये। स्वामित्व का प्रमाण पेश न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् राजसात किए जायें।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड